भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 2671

उत्तर देने की तारीख: सोमवार, 09 मार्च, 2026

18 फाल्गुन,1947 (शक)

झुंझुनू को विरासत शहर के रूप में नामित करना

2671. **श्री बृजेन्द्र सिंह ओलाः**

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजस्थान के झुंझुनू लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के किसी कस्बे/शहर को विरासत शहर के रूप में नामित किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार, यूनेस्को या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने किसी शहर को विरासत शहर के रूप में नामित करने के लिए कोई मानदंड/मापदंड निर्धारित किए हैं;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी मानदंडों का ब्यौरा क्या है; और

(ड.) अब तक देश में नामित विरासत शहरों का राज्य और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संस्कृति और पर्यटन मंत्री

(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) और (ख): प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के अंतर्गत, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों के संरक्षण और अनुरक्षण का दायित्व सौंपा गया है। भारत सरकार ने झुंझुनू लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी कस्बे/शहर को धरोहर शहर के रूप में नामित नहीं किया है।

(ग) से (घ): जी, नहीं। किसी भी शहर को धरोहर शहर के रूप में नामित करने के लिए भारत सरकार अथवा यूनेस्को का कोई नियम/मापदंड नहीं है।

(ङ): भारत में किसी भी शहर को धरोहर शहर के रूप में नामित करने के लिए कोई रूपरेखा/मानदंड नहीं है।

तथापि, ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद (2017) और जयपुर शहर, राजस्थान (2019) को यूनेस्को के विश्व धरोहर कनवेंशन, 1972 के तहत विश्व धरोहर स्थलों के रूप में शामिल किया गया है।

*****